कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में प्रवासी संकटः एक विश्लेषण

डॉ. ऋतेष भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्याम लाल कॉलेज (संध्या), दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. पिंकी पुनिया, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

सार

कोविड-19 ने भारत के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते देशभर के बड़े-बड़े शहरों से हजारों संख्या में प्रवासी मजदूर अपने-अपने गांव की तरफ पलायन कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को देशभर में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी और इस दौरान प्रवासी मजदूर भुखमरी के डर से अपने परिवारों के साथ गांव की तरफ कई हजार किलोमीटर पैदल चलते रहे जिसमें इनके साथ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल थे। अपने घरों को लौटते हुए इन्हें दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ा जिसमें कई प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई। महामारी के सबसे महत्वपूर्ण और दृश्यगत परिणामों में से एक प्रवासी संकट की समस्या रही है। अनियोजित और अचानक किए गए लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों को अपने जीवन और आजीविका के संदर्भ में महामारी का सबसे बुरा प्रभाव झेलना पड़ा है। करोना वायरस महामारी के दौरान प्रवासी संकट की वजह से प्रवासी श्रमिकों और करोना वायरस के बीच हमें कई बहुपक्षीय व बहुस्तरीय संबंधों का पता चलता है। इस लेख के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय प्रवासी संकट का विश्लेषण विशेष रुप से प्रवासी श्रमिकों की गतिशीलता, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ-साथ सरकार द्वारा इनके हित में उठाए गए नीतिगत राहत उपायों के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनके संदर्भ में दिए गए निर्देशों का भी वर्णन और विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्दध्सूचक शब्द (Key Words) कोविड-19, महामारी, सामूहिक निरोधक क्षमता, अनौपचारिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य प्रबंधन।

कोविड-19 महामारी इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर संकट रहा है क्योंकि यह त्रिस्तरीय संकट - स्वास्थ्य, मानवता और आर्थिक संकट - के रूप में हमारे समक्ष आया। अब तक इस महामारी ने राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए कई महाद्वीपों में लाखों लोगों के जीवन को काल का ग्रास बना लिया है। यदि इस वर्तमान संकट को अतीत में घटित हो चुके संकटों के संदर्भ में देखा जाए - उदाहरण के तौर पर जैसा कि वर्ष 1930 की आर्थिक महामंदी - तो इस

संकट ने मांग और आपूर्ति दोनों के समक्ष कई नए प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर दिए हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोविड-19 के प्रभाव को बहुत ही दृढ़ता से महसूस किया गया है। इसी संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का भी कहना है कि इस महामारी नें श्रम बाजार की मांग में गिरावट लाने के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला और श्रम बाजार को भी संकुचित कर दिया है। इस प्रकार के व्यवधान ने उत्पादन में श्रम को प्रभावित करने वाली श्रृंखला के निचले हिस्से में एक लहर पैदा कर दी है और जिसके परिणामस्वरूप गहरे झटके और ज्वलंत स्थिति उत्पन्न कर दी है।

कोविड-19 पर राज्य की प्रतिक्रिया

कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर एक बुरे स्वप्न का निर्माण किया, वैश्विक स्तर पर अनेक राष्ट्र-राज्यों ने कुछ कानूनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इस वायरस के खिलाफ युद्ध शुरू करने, इसके प्रसार और प्रभाव को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर रोकने के लिए जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। ब्रिटेन और सिंगापुर के विपरीत, भारत में कोविड-19 कानून लागू नहीं किया और इस करोना वायरस महामारी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और औपनिवेशिक महामारी आपदा अधिनियम 1897 का सहारा लिया।

इस वायरस के प्रसार और प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने 25 मार्च, 2020 को सर्वप्रथम (4 घंटे के नोटिस के आधार पर) देशव्यापी लॉकडाउन की तत्काल घोषणा कर दी और जोकि लगभग दो महीने तक जारी रही। यह विश्व में लागू किया गया सबसे बड़ा और सबसे कठोर लॉकडाउन था। इस दौरान बहुत से व्यवसाय बंद हो गए, वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, रेल और अंतर-राज्य बस सेवा रोक दी गई, कई बार लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया और बहुत से अनुबंध निलंबित कर दिए गए जिसके चलते देश के संगठित और विशेष रुप से असंगठित क्षेत्र को अभूतपूर्व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। असंगठित क्षेत्र में पूर्णरूप से रुकावट पैदा हो गई और विशेषरूप से उन लोगों को कोई सहायता नहीं दी गई जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि इस लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के प्रसार को रोकना था।

इस महामारी से निपटने के लिए राज्य की प्रतिक्रियाओं में अनेक आंतरिक दरारे देखी जा सकते हैं और प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में यह दरारे और भी गहरी देखी जा सकती है। कोविड-19 के संकट से निपटने में नीतिगत समस्या और विवादों की सीमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वायरस के प्रसार को समय रहते नहीं रोका गया। 'यह विचार की खतरा बाहर से है', इस आधार पर इस महामारी से सामना करने की रणनीति बनाई गई। इस

रणनीति के संदर्भ में इस दृष्टिकोण में निहित उस विरोधाभास का पता चलता है जिसने भारत में 'प्रवासी संकट' और 'सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट' के निर्माण में योगदान दिया।

सबसे सख्त लॉकडाउन

हर्ष मंडर और अमितांशु वर्मा के अनुसार, 'भारत ने दुनिया की सबसे छोटे राहत पैकेज के साथ सबसे कठोर लॉकडाउन को देखा'। इस लॉकडाउन से आप्रवासी श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अर्थशास्त्री और विकास अध्ययन के प्रोफेसर बारबरा हैरिस वाइट ने लॉकडाउन को श्रमिकों के अस्तित्व के प्रति नीति निष्क्रियता के माध्यम से 'अनौपचारिक श्रम पर एक युद्ध की घोषणा' के रूप में दर्शाया है। इसमें लोगों का भारी संख्या में शहरों से अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ पलायन देखा जा सकता है, जिसमें अदृश्य (गरीब, श्रमिक, मजदूर और हाशिए पर स्थित कामगार वर्ग) भी दृश्यवान हो गया। भारत सरकार के आंकड़े उस वास्तविक स्थिति का विवरण नहीं देते जिसमें प्रवासी मजदूरों का बहुत बड़ी संख्या में पलायन या विस्थापन हुआ था।

प्रवासन कोई नई घटना नहीं है, यदि नए प्रवासन और पुरानी प्रवासन के मध्य अंतर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है की एक तरफ, यह प्रवासन दयनीय रसद के साथ किया गया प्रवासन था। तो वहीं दूसरी तरफ, इस संकट की घड़ी में परिवार सहित सुरक्षित घर लौटने की अनिवार्यता भी थी। शहरों के संसाधन इस बार इन प्रवासियों की कोई मदद नहीं कर पाए जिसने एक प्रकार से शहरों की जर्जर और असमान वितरणात्मक व्यवस्था को उजागर किया - विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूरी और कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में - और अर्थव्यवस्था में विपरीत प्रवसन को बढ़ावा दिया। यह प्रवसन भारतीय इतिहास में आज तक के सबसे बड़े प्रवसन के रूप में सामने आया। अमिताभ कुंडू और मोहनन के अनुमान अनुसार, इस प्रवसन ने 12 लाख लोगों को अस्थिर किया और 22 लाख लोग अपने-अपने घरों को मजबूर होकर लौट गए। अन्य स्रोतों के अनुसार, इस महामारी के दौरान लगभग 20 लाख लोग या 15 से 20 प्रतिशत के लगभग कुल प्रवासी विस्थापित हुए हैं। अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत 93 प्रतिशत प्रवासियों को रोजगार का नुकसान हुआ है। भारत के औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार, भारत के 470 लाख श्रमिकों में से लगभग 80 प्रतिशत असंगठित क्षेत्रों में आज कार्यरत है जिसमें मुख्य रुप से रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, भवन या मॉल निर्माण में कार्यरत मजदूर, गृह कार्य में हाथ बटाने वाले घरेलू नौकर इत्यादि। असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों ने अर्थव्यवस्था के पहिए को चालू रखने में हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस महामारी के विषाणु को रोकने के लिए देशव्यापी स्तर पर हुए लॉकडाउन ने भूख, बेघर और अप्रत्याशित दुखो से घिरी हुई एक दयनीय स्थिति की और प्रवासी श्रम को फिर से धकेल दिया है। अप्रैल 2020 के मध्य में प्रवासी कामगार एक्शन नेटवर्क (डपहतंदज ॅवतामते ।बजपवद छमजूवता) के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण (1,11,159 प्रवासी मजदूरों के

नमूनों के सर्वेक्षण के आधार पर) के अनुसार इस दौरान 90 प्रतिशत लोगों को उनकी उचित मजदूरी तक नहीं दी गई, 96 प्रतिशत लोगों को सरकारी विभागों से राशन तक प्राप्त नहीं हुआ और 70 प्रतिशत लोगों को पका हुआ भोजन भी इस लॉकडाउन के दौरान प्राप्त नहीं हो सका।

हाल ही (सितंबर 2020) में रोजगार की अनिश्चितता को देखते हुए केंद्र सरकार ने माना है कि देश के शहरी इलाकों में 10-7 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 29-3 फीसदी लोगों के पास स्थाई रोजगार नहीं है। यह लोग अस्थाई प्रकृति के कामकाज से जुड़े हुए हैं और बड़े संस्थानों में भी अस्थाई तौर पर रख लिया जाता है। इन प्रवासी मजदूरों और कामगार वर्ग की आर्थिक सुरक्षा के लिए समय पर न्यूनतम पारिश्रमिक राशि तय की जाती है और हर 6 महीने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इनका पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अस्थाई प्रकृति के कामकाज में लगे लोगों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक राशि निर्धारित की जाती है। 1 अप्रैल 2020 को तय की गई राशि के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए ए वर्ग के शहरों में कृषि क्षेत्र में कामकाज के लिए ₹333 प्रतिदिन, बी वर्ग के शहरों में ₹303 प्रतिदिन और सी वर्ग के शहरों में ₹300 प्रतिदिन का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे अकुशल श्रमिकों के लिए ए वर्ग के शहरों में ₹523, बी वर्ग के शहरों में ₹437 और सी वर्ग के क्षेत्रों में ₹350 प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी तरफ दक्ष कामगारों के लिए कृषि क्षेत्र में ए वर्ग के क्षेत्रों में ₹438, बी वर्ग के लिए ₹407 और सी वर्ग के लिए ₹364 निर्धारित किए गए हैं। देश के उच्च शहरी इलाके जैसे दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे इत्यादि को ए वर्ग में, मध्यम स्तरीय शहरीकरण वाले स्थान जैसे प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली और राजकोट को बी वर्ग की श्रेणी में रखा गया है और देश के शेष इलाकों को सी वर्ग में रखा जाता है।

सामाजिक सुरक्षा तंत्र का अभाव

सामाजिक सुरक्षा तंत्र से अनौपचारिक श्रमिकों का बहिष्कार उनकी कमजोरियों और परेशानियों को और बढ़ाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अनुमान के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों तक पहुंच के मामले में भारत की आबादी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सबसे कमजोर है। भारत में प्रवासी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे से ज्यादा लाभान्वित नहीं है क्योंकि ग्रामीण शहरी प्रवासियों में से अधिकांश मुख्य रूप से आकस्मिक वेतन पर या अनौपचारिक क्षेत्र में स्व-कार्यरत है। भारत में विभिन्न राज्यों के बीच सामाजिक सुरक्षा समन्वय की कमी दिखाई देती है हालांकि कभी-कभी स्रोत और गंतव्य तो दिखाई देते हैं परन्तु अधिकांशतः श्रम बाजार में प्रवासन की प्रकृति अदृश्य ही होती है।

कोई भी व्यक्ति तीन स्तरों पर श्रमिक प्रवासियों के संकट का अवलोकन कर सकता है जैसे गंतव्य (क्मेजपदंजपवद), पारगमन और स्रोतों के आधार पर। श्रम प्रवासियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में उचित नीतिगत प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, सरकार ने श्रम प्रवासियों के लिए मुफ्त आवास, मजदूरी का भुगतान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कानूनी अधिकारों का उपयोग इनके हित में सुनिश्चित नहीं किया। इसी प्रकार उनके लिए सुचारू और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने हेतु कोई नीति नहीं अपनाई गई। श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण नहीं किया गया ताकि आपदा के समय में उनको आवश्यक मदद पहुंचाई जा सके। हाल ही में केंद्र सरकार ने 9 अप्रैल 2020 को घोषणा की कि 20 लाख पंजीकृत श्रमिकों को लाक्डाउन के दौरान 3000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त सरकार प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न और किसानों को रियायती ऋण देने की भी घोषणा की। तत्कालीन वित्त मंत्री ने की घोषणा की कि आठ करोड़ प्रवासियों को 2 महीने के लिए 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम दाल मुफ्त मिलेगी (नवंबर 2020 तक)।

हालांकि, सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा टुकड़ों में नियोजित उपागम का पता चलता है। बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक प्रवासियों की श्रेणी में आते हैं और कई प्रवासी श्रमिकों की तरह वह भी पंजीकृत नहीं है और इस तरह सरकार द्वारा दी जाने वाली नकद हस्तांतरण योजना से वह वंचित रहे। हाल ही में सरकार द्वारा राशन कार्ड पाने वाले 8 लाख लोगों के लिए 3 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के पास उनके राशन कार्ड उनके गृह राज्यों में रखे हुए थे और जब इस महामारी के दौरान उनको अपने कार्य स्थलों में भोजन की आवश्यकता थी तब वह इस से वंचित रह गए। इस प्रकार, नकद वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच का लाभ लेने के लिए फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को अपने कार्यस्थल से बाहर निकल कर सड़कों पर आना पड़ा ताकि इस महामारी के दौरान वह अपने-अपने घरों को लौट सके।

वर्तमान श्रम कानूनों के मौजूदा टुकडे जैसे अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, श्रम संहिता 2019 केवल कागजी शेर साबित हुए हैं और वर्तमान संकट का सामना करने में इनकी कोई प्रसंगिकता नहीं है। प्रवासियों को शहरी केंद्रों से बाहर फेंक दिया गया और यह प्रवासी श्रम के संबंध में भारतीय राज्य के निष्क्रिय भूमिका को उजागर करता है। कुछ राज्यों ने जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने मौजूदा श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया और नियोक्ता को अपने संबंधित व्यवसाय को मुक्त रूप से चलाने की अनुमति दे दी गई। अब मजदूरों को अब 12 घंटे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाएगा और सप्ताह में 6 दिन फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए, अब अतिरिक्त घंटों के लिए सामान्य दर की दुगनी दर से अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा गया है। इसे आगे

बढ़ते हुए, कमजोर और असुरक्षित मजदूरों को श्रम अधिकार संरक्षण से अलग किया गया जिसे शाह और लार्शे ने 'अति शोषण' के रूप में अंकित किया है।

अभी हाल ही में (मई 2021) सर्वोच्च न्यायालय ने देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन देने का आदेश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, 'प्रवासी मजदूर, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में क्यों न फंसे हो, इन सब को आत्मनिर्भर योजना या केंद्र या राज्यों की किसी अन्य योजना के तहत सुखा राशन उपलब्ध करवाया जाए और इसके लिए इन्हें राशन कार्ड भी दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे उन स्थानों पर सामुदायिक रसोई (ब्वउउनदपजल ज्ञपजबीमद) की शुरुआत करें जहां मजदूर फंसे हुए हैं।

प्रवासी श्रमिक और स्वास्थ्य प्रबंधन संकट

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिक महामारी और स्वास्थ्य प्रबंधन संबंधी संकट से सबसे ज्यादा पीड़ित रहे। मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 का प्रभाव विविध और जटिल रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी गतिशीलता को सही ढंग से नहीं संभालनां, पुलिस की आक्रामकता, अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, परिवहन में देरी और प्रवासियों को बलि का बकरा बनाए जाने के कारण प्रवासी श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनका विश्वास भी कम हुआ है। देखा जाए तो कोविड-19 महामारी एक महान तुल्यकारकध्समतामूलक भी रही है और इसने प्रत्येक व्यक्ति पर चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, आयु, क्षमता, धर्म और क्षेत्र का ही क्यों ना हो सबको बराबर प्रभावित किया है। हालांकि, प्रवासी मजदूरों को बीमारी का वाहक माना गया और प्रवासी शरीर को निष्कासन की नई चुनौती का सामना करने के साथ-साथ कलंकित सामाजिक बहिष्कार रूपी निगरानी तंत्र को भी उन पर लागू किया गया। इस उतार-चढ़ाव के समय में, मानवता और मानवीय संवेदनशीलता का भय के दायरे के साथ समझौता किया जा रहा है और यह भय इस बात से विदित होता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा इन पर सामूहिक रसायनिक छिडकाव तक किया गया।

निष्कर्ष

कोरोनावायरस संकट ने प्रवासी श्रमिकों पर बहुपक्षीय रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रवासी संकट ने भारत में महामारी की नैतिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को भी उजागर किया है, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में। इसने नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था में श्रम के क्षेत्र और सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी उठाया है। निकट भविष्य में

प्रवासन के मुद्दे के बेहतर प्रबंधन के लिए और महामारी से निपटने के लिए एक वैकल्पिक समावेशी और प्रवासी श्रम केंद्रित नीतियों को पुनर्जीवित और पुनर्गठित किया जाना आज बहुत आवश्यक है।